न्यायालय :– जिला न्यायाधीश, सहारनपुर।

UPSP010035622026

प्रकीर्ण वाद सं0–99 / 2026

1. **राजकुमार पुत्र ज्योति प्रसाद**
2. **कुलदीप सिंह पुत्र राजकुमार**
3. **रितेश कुमार पुत्र राजकुमार**

निवासीगण ग्राम तिवाया परगना हरौड़ा, तहसील व जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. **ऋषिपाल पुत्र तेल्लू राम**
2. **आशीष पुत्र ऋषिपाल**
3. **विवेक पुत्र ऋषिपाल**
4. **नरेश पुत्र तेल्लू राम**
5. **राजबीर सिंह पुत्र तेल्लू राम**

निवासीगण ग्राम तिवाया परगना हरौड़ा, तहसील व जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

निस्तारण पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0

10.07.2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को पुर्नस्थापन प्रार्थना–पत्र–4ग एवं आपत्ति–14ग पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र 4ग आवेदकगण राजकुमार, कुलदीप व रितेश कुमार द्वारा इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद सं0 35 / 2026 राजकुमार आदि बनाम ऋषिपाल आदि में दिनांक 12.03.2026 नियत थी, परन्तु अधिवक्ता के मुंशी द्वारा गलती से अपनी डायरी में 12.03.2026 के स्थान पर 13.03.2026 नोट कर ली गयी और प्रार्थीगण को भी दिनांक 13.03.2026 बतायी गयी, जिस कारण दिनांक 12.03.2026 को प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ सका तथा प्रकीर्ण वाद प्रार्थीगण की अनुपस्थित में निरस्त कर दिया गया। दिनांक 13.03.2026 को प्रार्थीगण की ओर से पैरवी करने हेतु प्रार्थी संख्या–2 कुलदीप उपस्थित आया तो उक्त आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। उपरोक्त आधार पर प्रकीर्ण वाद सं0 35 / 2026 में पारित आदेश दिनांकित 12.03.2026 को अपास्त किया जाकर उक्त वाद को पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में राजकुमार का शपथ–पत्र–5ग प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षगण की ओर से आपत्ति 14ग दाखिल करते हुए प्रार्थना–पत्र के कथनो को अस्वीकार किया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदकगण ने प्रकीर्ण वाद में कोई पैरवी नहीं की तथा प्रार्थना–पत्र वाद को लम्बित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र में अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है। आवेदन–पत्र निरस्त होने योग्य है।

प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना–पत्र आवेदकगण की ओर से मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मुगालते के कारण नियत तिथि 12.03.2026 के स्थान पर दिनांक 13.03.2026 नोट होने के कारण वह दिनांक 12.03.2026 को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके तथा दिनांक 13.03.2026 को प्रश्नगत आदेश की जानकारी होने पर उनके द्वारा प्रश्नगत आदेश की नकल प्राप्त करके दिनांक 23.03.2026 को उनके द्वारा

यह पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के कथनो के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदकगण की ओर से नियत दिनांक को स्वॅय की अनुपस्थिति का कारण तारीख का मुगालता होना दर्शाया गया है।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में तथा मामले के गुण दोष के आधार पर निस्तारण के लिए आवेदक का प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत धारा–151 सिविल प्रकिया संहिता न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण राजकुमार आदि की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र कागज संख्या–4ग, तदनुसार अंकन–1,000/रू0 (एक हजार रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अन्दर सात दिन विपक्षीगण को अदा किया जाये। बाद हर्जा अदायगी प्रकीर्ण वाद सं0 35/2026 राजकुमार आदि बनाम ऋषिपाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 12.03.2026 को रिकाल करते हुए उक्त प्रकीर्ण वाद को पुनः उसके नम्बर पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से अपने नम्बर पर स्थापित प्रकीर्ण वाद सं0 35/2026 वास्ते सुनवाई दिनांक 03.08.2026 को पेश हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा नियत अवधि के अन्दर हर्जा जमा नहीं किया जाता है, तो आदेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

दिनांक 10.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D. UP-1891